एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			<u>सी. 482 नंबर 1464 सन 2023</u> <u>माननीय राकेश थपलियाल, जे.</u> 1. श्री संजय भट्ट और श्री प्रेम प्रकाश भट्ट, आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता। 2. श्री सौरभ पांडे, राज्य के लिए विद्वान ब्रीफहोल्डर । 3. श्री एस. के. मंडल, निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता। 4. कंपाउंडिंग एप्लिकेशन IA नंबर 1 सन 2023 दायर किया गया है, जो आवेदकों, विजय कुमार शर्मा, हर्षित कुमार शर्मा, सविता शर्मा और कीर्ति शर्मा के हलफनामे और शिकायतकर्ता-प्रत्यर्थी नंबर 2 बाल कृष्ण सिंह के हलफनामे द्वारा समर्थित है। यह समझौता आवेदन घायलों, चेतन, श्रीमती कमलादेवी और श्रीमती निशा के हलफनामों से भी समर्थित है, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 5. आवेदकों के विद्वान वकील का कहना है कि शिकायतकर्ता और आवेदकों के बीच भूमि विवाद था, और इसलिए, आपराधिक कार्यवाही शुरू करना केवल दीवानी विवाद को निपटाने के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों के वकील का कहना है कि चोट रिपोर्ट के अनुसार भी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। 6. आवेदकों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि आवेदक सं. 1 विजय कुमार शर्मा ने चारों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी, जिसमें जांच के बाद आरोप पत्र दिया गया है, हालाँकि, एक कंपाउंडिंग आवेदन पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा सी482 नंबर 1955 सन 2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। उसी घटना को लेकर यह प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिसमें सभी आवेदक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। 7. सभी आवेदक अदालत में मौजूद हैं और उनकी पहचान उनके संबंधित वकील द्वारा की गई है। पार्टियों द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित और उनके संबंधित विद्वान वकील द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स प्रतियां दायर की जाती हैं और रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। जहां तक शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी सं. 2 की बात है वह अस्पताल में भर्ती है और वी.सी. के माध्यम से पेश हुआ है और इस अदालत ने उससे बातचीत की है। घायल-प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 भी वी.सी. के माध्यम से पेश हुए

			हैं और इस न्यायालय ने उनसे बातचीत भी की है। 8. बातचीत में सभी आवेदकों का कहना है कि आज की तारीख में कोई भूमि विवाद नहीं है और इसका समाधान कर दिया गया है। बातचीत करने पर, शिकायतकर्ता, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, का कहना है कि चूंकि भूमि विवाद का समाधान हो गया है, इसलिए वह इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। 9. राज्य वकील ने आपत्ति जताई कि हालांकि आईपीसी की धारा 147, 148, 307 और 327 के तहत दंडनीय अपराध समझौता योग्य नहीं हैं, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि आरोप, जैसा कि आरोप लगाया गया है, व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है क्योंकि शिकायतकर्ता और सभी आवेदक एक ही गांव के हैं , और, इस प्रकार, कथित अपराध समाज के खिलाफ नहीं हैं, इसलिए, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10एससीसी 303 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर धारा 147, 148, 307 के तहत दंडनीय अपराध हैं और 327 आईपीसी को भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि आरोप स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत प्रकृति के प्रतीत होते हैं और समाज के खिलाफ नहीं हैं। जहां तक बाकी दंडात्मक अपराधों का सवाल है, वे समझौता योग्य हैं। 10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कानूनी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान कंपाउंडिंग आवेदन संख्या 1/2023 को स्वीकार किया जाता है। 11. धारा 147, 148, 307/34, 325/34, 323/34, 504,506, 427 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित आपराधिक मामले संख्या 250 सन 2018, राज्य बनाम विजय कुमार शर्मा और अन्य की पूरी कार्यवाही को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। 12. C482 याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। **(राकेश थपलियाल, जे.)** 21.11.2023 पारुल